बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक 29 दिसम्बर, 2014

विषयः– कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के आलोक में कार्यस्थलों पर लैंगिक उत्पीड़न को रोकने के संबंध में दिशा निर्देश एवं शिकायत निवारण समितियों का गठन।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (किमिनल) संख्या– 666– 70/1992 – विशाका एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में दिनांक 13.08.97 को पारित आदेश के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक 2058 दिनांक 17.04.2001 द्वारा राज्य में कार्यस्थलों पर महिलाओं के साथ लैंगिक उत्पीड़न के रोकथाम हेतु दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। उक्त दिशा निर्देश के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक 2403 दिनांक 04.05.2001 (समय–समय पर यथा संशोधित) द्वारा कार्यस्थलों पर लैंगिक उत्पीड़न की शिकायतों के संबंध में कार्रवाई हेतु राज्य स्तरीय समीक्षा एवं शिकायत निवारण समिति का गठन किया गया है।

2. भारत सरकार द्वारा **कार्यस्थलों पर महिलाओं के साथ लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013** अधिसूचित किये जाने के उपरांत उपर्युक्त विभागीय संकल्पों के प्रावधान अप्रासंगिक हो गये हैं, फलतः राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत उक्त संकल्पों एवं उनके आलोक में समय–समय पर निर्गत संकल्प/अनुदेशों को रद्द करते हुए उनके स्थान पर भारत सरकार के उक्त अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के आलोक में कार्यस्थलों पर महिलाओं के साथ लैंगिक उत्पीड़न के रोकथाम, निषेध एवं प्रतिकार के संबंध में निम्न लिखित दिशा निर्देश जारी करने का निर्णय लिया गया है–

(1). भारत सरकार द्वारा गठित **कार्यस्थलों पर महिलाओं के साथ लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013** की धारा– 2 (ण) में परिभाषित '**कार्यस्थलों**' के नियोक्ता का यह दायित्व होगा कि वे अपने कार्यस्थलों पर महिलाओं के साथ लैंगिक उत्पीड़न की घटना को रोकने की कार्रवाई करें और अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में लैंगिक उत्पीड़न के मामलों के निष्पादन एवं अभियोजन की कार्रवाई करें। इस उद्देश्य से अधिनियम की धारा– 2 (ढ़) के अनुसार '**लैंगिक उत्पीड़न**' में निम्न में से कोई एक या सभी अवांछनीय कार्य या व्यवहार (प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष) शामिल हैं; यथा–

(i) शारीरिक संपर्क और इसके लिए आगे बढ़ना, या

(ii) यौन स्वीकृति की मांग करना या अनुरोध करना, या

(iii) यौन रंजित टिप्पणियाँ करना, या

(iv) अश्लील चित्र या साहित्य दिखाना, या

(v) यौन प्रकृति का कोई अन्य अवांछनीय शारीरिक, शाब्दिक या गैर–शाब्दिक आचरण।

(2) अधिनियम की धारा– 3 के अनुसार महिलाओं के साथ किसी भी कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न वर्जित है। उपर्युक्त उप कंडिका–(1) की स्थितियों के साथ निम्न में से कोई परिस्थिति या कार्य या लैंगिक उत्पीडन व्यवहार यदि सामने आता है, तो यह **लैंगिक उत्पीड़न** होगा–

(i) नौकरी में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अधिमानता देने का वादा; या

(ii) नौकरी में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से नुकसान पहुँचाने की धमकी; या

(iii) उसके वर्त्तमान या भविष्य के नियोजन की स्थिति के संबंध में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से धमकी; या

(iv) उसके कार्यों में हस्तक्षेप अथवा भय का या हानिकर या विपरीत कार्य–वातावरण बनाना; या

(v) उपहासपूर्ण व्यवहार, जो उसके स्वास्थ्य या सुरक्षा को प्रभावित करे।

(3) उपकंडिका (1) एवं (2) की स्थिति को रोकने हेतु प्रत्येक कार्यस्थल के नियोक्ता के लिए अधिनियम की धारा 4 के आलोक में लिखित रूप से आदेश निकाल कर एक समिति का गठन करना आवश्यक है, जो **'आंतरिक शिकायत समिति'** कही जायेगी। जहाँ एक नियोक्ता के अधीन कार्यस्थल अलग–अलग स्थलों पर अवस्थित हो, वहाँ प्रत्येक कार्यस्थल के लिए आंतरिक शिकायत समिति गठित की जायेगी। **'आंतरिक शिकायत समिति'** में नियोक्ता द्वारा निम्नवत् सदस्य नामित किये जायेंगे जिनमें कम–से–कम आधे सदस्य महिला होंगी –

(i) कार्यस्थल की वरीय महिला कर्मी – अध्यक्ष,

(परंतु किसी कार्यस्थल में वरीय महिला कर्मी उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में नियोक्ता अपने अन्य कार्यालय या प्रशासनिक ईकाई से अथवा अन्य स्थानों पर अवस्थित अपने नियंत्रणाधीन कार्यस्थलों से अध्यक्ष का मनोनयन कर सकेगा।)

(ii) कर्मचारियों में से कम–से–कम दो सदस्य– जिनकी महिला मुद्दों के प्रति प्रतिबद्धता हो अथवा जो महिला मुद्दों की समझ रखते हों। – सदस्य,

(iii) महिलाओं के मुद्दों के प्रति प्रतिबद्ध गैर–सरकारी संगठन या समूह का एक सदस्य अथवा महिला लैंगिक प्रताड़ना मुद्दों से परिचित कोई व्यक्ति। – सदस्य।

(4) अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल नियोक्ता द्वारा नामित करने की तिथि से तीन वर्षों का होगा। गैर सरकारी संगठन या समूह के सदस्यों को आंतरिक शिकायत समिति की कार्यवाहियों में भाग लेने हेतु अधिनियम, 2013 की धारा– 4(4) के अनुसार निर्धारित दर पर शुल्क एवं भत्ते नियोक्ता द्वारा देय होगा।

(5) अधिनियम, 2013 की धारा 5 के आलोक में प्रत्येक जिला में एक जिला दंडाधिकारी अथवा अपर जिला दंडाधिकारी को अधिनियम के तहत् कार्यों के निष्पादन हेतु **जिला अधिकारी** अधिसूचित किया जाना है। इस हेतु सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अलग से अधिसूचना निर्गत की जायेगी।

(6) उपर्युक्त उप कंडिका (5) के तहत् अधिसूचित **जिला अधिकारी** अपने–अपने जिले में उन कार्यस्थलों से लैंगिक उत्पीडन व्यवहार संबंधी शिकायतें प्राप्त करने हेतु, जहाँ दस से कम संख्या में कर्मचारी होने के कारण '**आंतरिक शिकायत समिति**' का गठन नहीं किया जा सका हो, अथवा कार्यस्थलों के **नियोक्ता** के विरूद्ध लैंगिक उत्पीड़न व्यवहार से संबंधित शिकायतें प्राप्त करेन हेतु एक समिति गठित करेंगे जो **स्थानीय शिकायत समिति** कहलायेगी।

(7) जिला अधिकारी अधिनियम की धारा 6 (2) के अनुसार अपने जिले में प्रत्येक स्तर पर लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें प्राप्त कर उसे 7 दिनों के अंदर **स्थानीय शिकायत समिति** को अग्रसारित करने हेतु एक–एक **नोडल अधिकारी** मनोनीत करेगा।

(8) स्थानीय शिकायत समिति का गठन अधिनियम की धारा 7 के अनुसार किया जायेगा। इसके सदस्य जिला अधिकारी द्वारा निम्नवत् मनोनीत किये जायेंगे–

(i)	सामाजिक कार्यों एवं महिलाओं के मुद्दों के प्रति प्रतिबद्ध ख्यातिप्राप्त महिलाओं में से एक महिला;	–	अध्यक्ष।
(ii)	अधिनियम की धारा–7(1)(ख) के अनुसार जिले की इकाईयों में कार्यरत एक महिला;	–	सदस्य।
(iii)	महिलाओं के मुद्दों के प्रति प्रतिबद्ध गैर–सरकारी संगठन या समूह अथवा महिला लैंगिक प्रताड़ना मुद्दों से परिचित व्यक्तियों में से कोई दो सदस्य, जिसमें से कम'–से–कम एक सदस्य महिला हो। परंतु यह भी कि इनमें से कम–से–कम एक सदस्य विधिक पृष्ठभूमि का हो। परंतु यह भी कि इनमें से कम–से–कम एक सदस्य अनु0जाति/अनु0ज0जा0/पिछड़ा वर्ग का हो।	–	सदस्य।
(iv)	जिला समाज कल्याण अथवा जिला महिला एवं बाल विकास पदधिकारी।	–	पदेन सदस्य

(9) स्थानीय शिकायत समिति के मनोनीत अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल मनोनयन की तिथि से तीन वर्षों का होगा। उपर्युक्त उपंडिका–(8) (ii) एवं (iv) के अतिरिक्त अन्य सदस्यों एवं अध्यक्ष को स्थानीय शिकायत समिति की कार्यवाहियों में भाग लेने हेतु अधिनियम, 2013 की धारा– 8 के अनुसार निर्धारित दर पर शुल्क एवं भत्ते देय होंगे।

(10) लैंगिक उत्पीड़न की घटना के तीन माह के अंदर कोई भी महिला लिखित शिकायत आंतरिक शिकायत समिति को अथवा जहाँ आंतरिक शिकायत समिति का गठन नहीं हुआ हो, वहाँ स्थानीय शिकायत समिति में कर सकेगी।

जहाँ ऐसी महिला लिखित आवेदन नहीं दे सके वहाँ आंतरिक समिति अथवा स्थानीय समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य उस महिला को लिखित शिकायत दर्ज कराने से संबंधित सभी सहयोग उपलब्ध करायेंगे। शिकायत करने में हुई देरी के कारणों से पूरी तरह संतुष्ट होने पर आंतरिक शिकायत समिति अथवा स्थानीय शिकायत समिति, जहाँ जैसा मामला हो, के अध्यक्ष कारण अभिलिखित करते हुए शिकायत दर्ज कराने की समय–सीमा को अधितकम तीन माह तक बढ़ा सकेंगे।

जहाँ शारीरिक अथवा मानसिक असमर्थता अथवा मृत्यु अथवा अन्य कारणों से पीड़ित महिला स्वयं शिकायत दर्ज नहीं करा सके, वहाँ उसका कानूनी उत्तराधिकारी अथवा अन्य प्राधिकृत व्यक्ति शिकायत दर्ज करा सकेंगे।

(11) शिकायत प्राप्त होने के उपरांत यदि पीड़ित महिला मामले को आपसी समझौते के तहत् सुलझाना चाहती हो, तो आंतरिक शिकायत समिति अथवा स्थानीय शिकायत समिति, जहाँ जैसा मामला हो, अधिनियम की धारा–10 के अनुसार कार्रवाई कर सकेगी। परंतु इस तरह के किसी समझौते का आधार आर्थिक नहीं होगा। पीड़िता को उक्त समझौते की एक प्रति उपलब्ध करायी जायेगी। इस प्रकार समझौता हो जाने पर इस मामले में आगे जाँच नहीं की जायेगी।

(12) अधिनियम की धारा–10 के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए यदि आरोपित व्यक्ति कोई कर्मी हो तो समिति ऐसे सेवा नियमों के आलोक में शिकायतों की जाँच एवं उसका निष्पादन कर सकेगी जिसके अधीन वह कर्मी कार्यरत रहा हो। परंतु जहाँ ऐसा कोई नियम नहीं है, वहाँ महिलाओं के साथ लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) नियम, 2013 के नियम–9 के प्रावधानों के तहत् कार्रवाई की जा सकेगी। घरेलू कामगारों की स्थिति में शिकायतों के संबंध में प्रथम द्ष्ट्या मामला बनने पर समिति अधिनियम की धारा–11 के प्रावधानानुसार भा0द0वि0 की धारा– 509 एवं अन्य संदर्भित प्रावधानों के तहत कार्रवाई हेतु शिकायत दर्ज होने के सात (7) दिनों के अंदर पुलिस को मामला अग्रसारित कर सकेगी।

(13) अधिनियम की धारा–10 के अनुसार समझौता होने के बाद भी पीड़ित महिला द्वारा आरोपित के विरूद्ध समझौते का अनुपालन नहीं करने की शिकायत प्राप्त होने पर समिति शिकायत के संबंध में, जैसा मामला हो, आगे जाँच कर सकेगी अथवा मामला पुलिस को अग्रसारित कर सकेगी।

(14) आंतरिक शिकायत समिति अथवा स्थानीय शिकायत समिति, जहाँ जैसा मामला हो, प्राप्त शिकायतों के संबंध में अधिनियम की धारा–11, 12, 13, 14 एवं 15 के आलोक में जाँच कर कार्रवाई करेगी।

(15) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के होते हुए भी इस अधिनियम की धारा 16 एवं 17 के अनुसार लैंगिक उत्पीड़न की पीड़ित महिला, आरोपित व्यक्ति, गवाह से संबंधित कोई सूचना और इस बावत हुए समझौते अथवा जाँच कार्यवाही, समितियों की अनुशंसा अथवा नियोक्ता या जिला अधिकारी द्वारा इस अधिनियम के तहत् की गयी किसी कार्रवाई के संबंध में कोई भी सूचना किसी भी रूप में किसी को भी नहीं दी जायेगी। इस प्रावधान का उल्लंधन करने वाला व्यक्ति अधिनियम की धारा–17 के अनुसार दंड का भागी होगा।

(16) समितियों की अनुशंसा के विरूद्ध प्रभावित व्यक्ति अधिनियम की धारा–18 के अनुसार अपील कर सकेगा।

(17) **प्रत्येक नियोक्ता–**

(i) सुरक्षित कार्य–वातावरण उपलब्ध करायेगा, जिसमें कार्य–स्थल पर संपर्क में आने वाले अन्य व्यक्तियों से सुरक्षा भी शामिल होगा।

(ii) कार्यालय में सबके निगाह में आने वाले स्थान पर लैंगिक उत्पीड़न के संबंध में इस अधिनियम के दंडात्मक प्रावधानों एवं आंतरिक शिकायत समिति के गठन की सूचना नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करेगा।

(iii) इस अधिनियम के प्रावधानों के संबंध में कर्मियों को जागरूक करने हेतु नियमित अंतराल पर कार्यशाला एवं आंतरिक शिकायत समिति के सदस्यों के लिए अधिनियम के प्रावधानों के संबंध में ओरिएंटेशन प्रोग्राम आयोजित करेगा।

(iv) आंतरिक समिति एवं स्थानीय समिति को शिकायतों के संबंध में समस्त सूचना उपलब्ध करायेगा तथा शिकायतों के संबंध में कार्रवाई एवं उसकी जाँच के लिए आवश्यक सहयोग उपलब्ध करायेगा।

(v) आंतरिक समिति एवं स्थानीय समिति के समक्ष आरोपित एवं साक्षियों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने में सहयोग करेगा।

(vi) यदि पीड़ित महिला चाहे, तो उसे भा0द0वि0 अथवा अन्य कानूनों की धाराओं के तहत् शिकायत दर्ज कराने में सहयोग करेगा।

(vii) लैंगिक उत्पीड़न को सेवा नियमावली के तहत् कदाचार मानते हुए ऐसे कदाचार के लिए लिए अनुशासनिक कार्रवाई आरंभ करेगा।

(viii) आंतरिक समिति द्वारा ससमय प्रतिवेदन प्राप्त करने के संबंध में अनुश्रवण करेगा।

(18) अधिनियम की धारा–5 के तहत् अधिसूचित जिला अधिकारी–

(i) आंतरिक समिति द्वारा ससमय प्रतिवेदन प्राप्त करने के संबंध में अनुश्रवण करेगा।

(ii) महिलाओं के अधिकार एवं लैंगिक उत्पीड़न के विरूद्ध जागरूकता पैदा करने हेतु गैर सरकारी संगठनों को भागीदार बनाने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करेगा।

(19) आंतरिक समिति अथवा स्थानीय समिति, जहाँ जैसा हो, प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में इस अधिनियम के तहत् प्राप्त शिकायतों के संबंध में वार्षिक प्रतिवेदन संबंधित नियोक्ता एवं जिला अधिकारी को उपलब्ध करायेगी। नियोक्ता द्वारा प्रत्येक वर्ष ऐसे मामलों की संख्या, उसके निष्पादन की स्थिति और लंबित मामलों के संबंध में जिला अधिकारी को वार्षिक प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जायेगा और जिला अधिकारी प्राप्त वार्षिक प्रतिवेदनों के संबंध में एक संक्षिप्त प्रतिवेदन समाज कल्याण विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

(20) समाज कल्याण विभाग कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 एवं इसके तहत् गठित महिलाओं के साथ लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) नियम, 2013 के अनुपालन का अनुश्रवण करेगा और कार्यस्थलों पर महिलाओं के साथ लैंगिक उत्पीड़न की शिकायतों, उनके निष्पादन के आंकड़े संधारित करेगा।

3. सरकार द्वारा सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त दिशा निदेश एवं 'कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013' एवं इसके तहत् अधिसूचित 'महिलाओं के साथ लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) नियम, 2013' के अन्य सभी प्रावधानों से अपने अधीन तथा अपने क्षेत्राधीन सभी कार्यस्थलों के नियोक्ता एवं कर्मियों को अवगत कराने तथा उनका अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में कार्रवाई करेंगे।

आदेश—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी में लाने हेतु बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाये और इसकी प्रति सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को इस निदेश के साथ दिया जाये कि वे संलग्न दिशा निदेश से अपने अधीनस्थ सभी कार्यक्षेत्रों के नियोक्ता एवं कर्मियों को अवगत करा दें।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(अनिल कुमार)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक.–03/एम0–72/2014 17903 पटना,15 दिनांक–29.दिसम्दर,2014

प्रतिलिपि अधीक्षक सचिवालय मुद्रणालय/ वित्त विभाग (ई–गजट प्रशाखा), बिहार पटना को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक.–03/एम0–72/2014 17903 पटना,15 दिनांक–29.दिसम्दर,2014

प्रतिलिपि सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/राज्यपाल सचिवालय/ मुख्यमंत्री सचिवालय/मुख्य सचिव के सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय/सचिव, बिहार विधान परिषद् सचिवालय/महानिबंधक, पटना उच्च न्यायालय/लोकायुक्त के सचिव/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव